

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 08/2003-04

मो० मुस्तफा।

बनाम

अब्दुल वादुद एवं अन्य।


आदेश


यह वाद दिनांक- 25.07.2003 को वादी मो० मुस्तफा, पिता- स्व० अब्दुल रहमान, निवासी ग्राम- जैतगढ़, वर्तमान पता- जगन्नाथपुर, पो०+थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "A" में वर्णित भूमि का Partition of Personal Property के लिए प्रतिवादी अब्दुल वादुद, पिता- स्व० ए० रहीम एवं 02 अन्य, निवासी ग्राम- जैतगढ़, पो०+थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 18.09.2017 से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


30.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


30.11.22
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।